P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-8* (Part-1) April- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

सामाजिक न्याय और डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की भूमिका

मनीष कुमार
शोधकर्ता,
प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्त्व विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने जीवनभर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया। उनका सारा जीवन दलितों के लिए स्वाधीनता, समानता की प्राप्ति और उनके सम्मानपूर्ण जीवन के लिये किये गये संघर्ष की कहानी है। उनका जीवन, वर्ण, जाति, द्वेष और उसके दंश से अभिभूत वर्ग विशेष की कहानी है, जिसके वे छः दशकों तक नायक बने रहे। उनका यह नायकत्व आरोपित न होकर स्वयं अर्जित और स्वयं स्फूर्त था। अपने सम्पूर्ण परिवेश, आन्तरिक द्वन्द्वों, संवेदनाओं, अनुभवों, अवधारणाओं और प्रतिबद्धताओं से निर्मित डॉ0 भीमराव अम्बेडकर 'इतिहास पुरूष' की संज्ञा को सही और सार्थक सिद्ध करते हैं।

मुख्य शब्द : दलित, सामाजिक, गोलमेज सम्मेलन, आन्दोलन, वर्ग

प्रस्तावना

डॉ0 अम्बेडकर की चिन्तनधारा और परम्परा को अम्बेडकरवाद या किसी अन्य नामकरण की आवश्यकता नही है। वे तो सम्पूर्ण रूप से सामाजिक न्याय के मसीहा और अग्रदूत थे। उनके द्वारा चलाया गया समाजिक न्याय के लिए आन्दोलन एक शुद्ध कर्म है जिसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही बनी हुई है जितनी उनके समय में थी। इसी आधार पर सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की पृष्ठभूमि में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की भूमिका को समझना उचित होगा।

समाज के दलित एवं अछूत वर्ग में जागृति लाने के लिए अम्बेडकर ने स्थान–स्थान पर सभाएं आयोजित कीं। 21 मार्च 1928 को उन्होंने नागपुर में एक सभा की तथा संदेश दिया– ''यदि भारत में स्वराज आता है तो भारत के संविधान में अछूतों के लिए मौलिक अधिकार अवश्य सम्मिलित किये जाने चाहिए।[1]

अपने मन की बात अछूतों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अप्रैल, 1927 में मुम्बई से एक पाक्षिक समाचारपत्र बहिष्कृत भारत निकालना शुरू किया। 19 व 20 मार्च 1927 को महाड़ में अछूतों की एक सभा की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने एक प्रस्ताव पास कराया–

'सवर्ण अछूतों को उनके अधिकार दिलाने में उनकी सहायता करें उन्हें नौकरियों में रखे, अछूतों को खाना दें और मरे हुए जानवरों को स्वयं दफनाएं।'[2]

डॉ0 अम्बेडकर ने गाँव–गाँव में जाकर सभाएँ कीं और अछूतों को जागृत करने लगे। 16 सितम्बर 1939 को उन्होंने अहमदनगर में एक सभा की और मुम्बई के गवर्नर को ज्ञापन देकर माँग की कि वतनदारों को, जो महार हैं, भूमि की रैयतवारी व्यवस्था में लाया जाय, उनकी सेवाओं के बदले में उन्हें वेतन दिया जाय और सरकारी कर्मचारी माना जाए। परोक्ष रूप से उन्होंने समाज से लड़ने का बिगुल बजा दिया था।[3]

दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अवसर पर हुए गाँधीजी व डॉ0 अम्बेडकर के संवाद एक प्रकार से भारतीय समाज के लिए चुनौती थे। इस अवसर पर दोनों नेताओं को भेंट करायी गयी। गाँधीजी ने डॉ0 अम्बेडकर को लगभग धमकी देते हुए कहा था– ''मैं दलित समाज की समस्याओं पर तब से चिन्तन कर रहा हूँ, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे।''

डॉ0 अम्बेडकर ने उत्तर में कहा– ''यह सत्य है महात्मा जी कि आपने मेरे जन्म से पहले ही दलित वर्ग की समस्याओं पर सोचना आरम्भ कर दिया था। वृद्ध लोग हमेशा ही आयु की बात बीच में लाते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि आपकी वजह से ही कांग्रेस पार्टी ने इन समस्याओं को औपचारिक मान्यता देने के अलावा किया ही क्या है? आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने दलित वर्ग को ऊपर उठाने के लिए 25 लाख रूपये खर्च किये, किन्तु ये सब व्यर्थ है। मैं थोड़ी सी सहायता से अपने लोगों के दृष्टिकोण तथा आर्थिक स्थिति को बदल सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि कांग्रेस इस क्षेत्र में ईमानदार नही रही। अगर वह ईमानदार होती तो वह निश्चय ही वैसे ही कदम उठाती जैसे कांग्रेस का खद्दर

पहनना अनिवार्य है, और इससे दलित वर्ग का उत्थान होता। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने अछूत स्त्री या पुरूष को नौकरी दी हो ..... और किसी ने अछूत छात्र के साथ सप्ताह में एक दिन खाना खाया हो। ..... मन्दिर प्रवेश की घटना को कांग्रेस का अध्यक्ष यों ही देखता रहा। ..... कांग्रेस जितनी सत्ता की इच्छुक है, उतनी उद्देश्यों व सिद्धान्तों के लिए नहीं। ..... हम स्वसेवा और आत्मसम्मान में विश्वास करते हैं। हम महान् नेता या महात्मा में विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं हैं।''

डा0 भीमराव अम्बेडकर ने आगे कहा– ''यदि अपने लोगों को मानव अधिकारों को सुरक्षित नहीं कर सकता, जिनसे वह इस देश में सदियों से वंचित थे तो मैं इस देश की कोई सेवा नहीं कर सकता, और ऐसा करना कोई पाप नहीं है।''

गाँधीजी ने कहा– ''गोलमेज सम्मेलन की जो कार्यवाही मेरे पास पंहुची है, उस आधार पर मैं जानता हूँ कि तुम देशभक्त हो।'' उन्होंने आगे कहा–''मैं हिन्दुओं से पृथक अछूतों के लिए राजनीतिक विभक्तिकरण के विरूद्ध हूँ।''[4]

इस तरह यह स्पष्ट है कि डॉ0 अम्बेडकर के सोचने का ढंग ठोस व बुनियादी था। वे निर्भीक तथा स्वाभिमानी थे। डॉ0 अम्बेडकर यह समझ गये थे कि निरन्तर संघर्ष करके ही अछूत समाज हिन्दुओं से कुछ प्राप्त कर सकता है।

कांग्रेस ने दो–चार अछूतों को अपने पक्ष में करके डॉ0 अम्बेडकर के विरूद्ध लंदन में तार भिजवाये, जिनमें कहा गया था कि वे पृथक चुनाव प्रणाली नहीं चाहते, वयस्क मताधिकार से सन्तुष्ट हैं। देश के भीतर भी डॉ0 अम्बेडकर का विरोध कराया गया। विभिन्न स्थानों पर सभाएं करके निन्दा की गयी।[5]

विभिन्न समितियों में डॉ0 अम्बेडकर, गांधीजी व हिन्दुओं के अन्य नेताओं ने देश की आजादी के बारे में भाषण दिये, किन्तु गांधीजी आदि नेता अपनी बात इतनी शक्ति देकर नहीं कह पाये जितनी मुस्तैदी से अपनी बात डॉ0 अम्बेडकर ने कही थी।

पहले गोलमेज सम्मेलन में मुसलमान तथा सिक्खों को सुरक्षा प्रदान करने की बात स्वीकार की गयी, किन्तु अछूतों को सुरक्षा प्रदान करने के विरूद्ध अपनी पूरी शक्ति लगा दी गयी। अम्बेडकर के अनुसार कांग्रेस की अछूतों के प्रति नीति काल्पनिक तथा केवल मानसिक थी[6], जबकि अछूतोद्धार के प्रति अम्बेडकर की नीति प्राकृतिक, वास्तविक तथा व्यवहारिक थी। अपनी दलितोद्धार की नीति के कारण डॉ0 अम्बेडकर सवर्ण हिन्दुओं के दुश्मन बन गये थे। उनको प्रतिक्रियावादी, सम्प्रदायवादी, देशद्रोही तथा अंग्रेजों का खरीदा हुआ गुलाम तक कहा गया।

सरकार में रहकर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष

मुम्बई विधानसभा में डॉ0 अम्बेडकर ने एस0 के0 बोले से एक प्रस्ताव रखवाया जिसमें कहा गया था–

''विधानसभा सिफारिश करती है कि अछूत समाज को सार्वजनिक पानी के स्थान, कुएँ तथा धर्मशालाएं, जिनका निर्माण तथा व्यवस्था सरकारी धन से होती है अथवा सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं द्वारा होती है तथा स्कूल, अदालतों, कार्यालयों व अस्पतालों का उपयोग करने देना चाहिए।''[7]

मुम्बई सरकार ने 11 सितम्बर, 1923 को आदेश जारी करके इस प्रस्ताव को अमल में लाने की पहल की, किन्तु अधिकांश जिला परिषदों व शहरी कमेटियों ने अछूतों को ऐसा करने का अधिकार नहीं दिया।

19 तथा 20 मार्च, 1927 की सभा में सरकार से कहा गया– ''खास कानून द्वारा अछूतों को मुर्दा जानवर खाने से रोका जाय। उनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा तथा छात्रावासों की व्यवस्था की जाय, बोले प्रस्ताव को व्यावहारिक रूप दिया जाय।''[8]

महार वतन हैरीडिटरी ऑफिसेज् कानून के अनुसार महाराष्ट्र के महारों को कोई छोटी सी नौकरी दी जाती थी, जिसके आधार पर उनसे दिन–रात काम करवाया जाता था। छुट्टी लेने की स्थिति में अपने स्थान पर काम पर भाई, बाप, पत्नी अथवा अपने किसी रिश्तेदार अथवा किसी अन्य आदमी को भेजना पड़ता था। इस कठोर सेवा के बदले उनको एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा खेती करके अपनी आजीविका कमाने के लिए दिया जाता था; इसे 'वतन' कहा जाता था।

इस 'वतन' कार्य के कारण महार अपनी इज्जत खो चुके थे। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने इस प्रथा को बंद करने के लिए लड़ाई लड़ी। 19 मार्च, 1928 को डॉ0 अम्बेडकर ने मुम्बई विधानसभा में **मुम्बई हैरीडिटरी ऑफिसेज कानून 1874**' के संशोधन के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया।[9] इस विधेयक के उद्देश्य इस प्रकार थे–

1. ऑफीसियेटिंग वतनदारों के वेतन की अच्छी व्यवस्था करना।
2. गाँव के छोटे नौकरों के 'वेतनों' को बदलने की व्यवस्था करना।
3. 'बलूता' के बदले धन के रूप में भुगतान करना।
4. छोटे व घटिया 'वतन' के बदले वतनदारों को रैयत की नौकरी व सेवा से मुक्त करना।
5. ऑफिसियेटिंग वतनदारों की ड्यूटी निश्चित करना।

यह विधेयक 3 अगस्त, 1928 को मुम्बई विधानसभा में प्रस्तुत हुआ। सरकार ने इस विधेयक को 23 अगस्त, 1928 को प्रवर समिति को सौंप दिया जिसने मूल विधेयक को ही बदल दिया। ऐसी स्थिति में 24 जुलाई, 1929 को डॉ0 अम्बेडकर ने इस विधेयक को वापस ले लिया।

अन्त में इस विधेयक की खातिर लड़ने के लिए 16 जून, 1935 को 'वतन' व्यवस्था को समूल नष्ट करने के लिए डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने द मुम्बई स्टेट इनफीरियर विलेज वतनदार एसोसियेशन की स्थापना की तथा वे स्वयं उसके प्रधान बने। अन्त में यह विधेयक 1938 में पास हुआ था वतन व्यवस्था समाप्त हुई।

डॉ0 अम्बेडकर ने 1935 में विधानसभा में दलितों के लिए संरक्षण की माँग की और विधानसभा में आबादी के आधार पर दलितों के प्रतिनिधियों को सीधे दलितों द्वारा चुनने की बात कही। इसके फलस्वरूप मुम्बई सरकार ने डॉ0 पी0जी0 सोलंकी के प्रस्ताव पर एक 'स्टार्टे' कमेटी नियुक्त की, जिसे दलित जातियों तथा आदिम जातियों के उत्थान के लिए सिफारिशें करने के

लिए कहा गया। ए0वी0 ठक्कर, सोलंकी व डॉ0 अम्बेडकर इस कमेटी के सदस्य थे। मार्च, 1940 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा–

1. दलित वर्ग के छात्रों के वज़ीफों की संख्या बढ़ाई जाय।
2. दलित छात्रों के लिए छात्रावासों की व्यवस्था की जाय।
3. दलित छात्रों को कारखानों, रेल की कार्यशालाओं तथा अन्य प्रकार के प्रशिक्षण के लिए वज़ीफे दिये जायें।
4. दलित छात्रों को विदेश में इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए वज़ीफों की व्यवस्था की जाय।
5. इन सभी कार्यों को देखने के लिए एक ख़ास अधिकारी की नियुक्ति की जाय।

डॉ0 अम्बेडकर ने माँग की कि वयस्क मताधिकार अथवा पृथक् चुनाव में से उन्हें एक अवश्य दिया जाय। इस बात पर साइमन कमीशन से मतभेद हो जाने पर उन्होंने साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किये।

गोलमेज सम्मेलन

प्रथम गोलमेज के लिए 9 समितियाँ बनाई गयी थीं, जिनमें से तीन के सदस्य डॉ0 अम्बेडकर थे। ये समितियाँ थीं–

1. अल्पसंख्यक उपसमिति
2. प्रान्तीय संवैधानिक उपसमिति, एवं
3. नौकरों की उपसमिति

अपने लम्बे भाषण में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने बताया– ''हम लोग जानते हैं कि राजनीतिक शक्ति ब्रिटिश सरकार से उन लोगों के हाथों में जा रही है, जिनका हमारे आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन पर भयानक रूप से शासन है। ..... हमारी समस्या का हल वर्तमान राजनैतिक सत्ता हस्तान्तरण समझौते का एक प्रमुख अंग होना चाहिए। हमारी समस्या को भावी शासकों की सहानभूति और स्वेच्छा पर नहीं छोड़ना चाहिए।''

उन्होनें स्पष्ट शब्दों में कहा– ''अल्पसंख्यक तथा दलित निश्चित है कि वे ऐसे स्वराज की स्वीकृति नहीं देंगे जिसके विधान में उनकी मांगें स्वीकार नहीं की जातीं।'' उनकी मांगें मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित थीं।

प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉ0 अम्बेडकर का विकट रूप अंग्रेज व हिन्दू नेता देख चुके थे। उन्होंने सभी को आड़े हाथों लिया था। अतः दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले ही गांधीजी ने उनको बातचीत के लिए बुला लिया था।

पूना पैक्ट

14 अगस्त, 1932 को ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री रैमज़े मैक्डोनॉल्ड ने भारत की चुनाव सम्बन्धी साम्प्रदायिक मांगों पर अपना फैसला दे दिया था। फैसले के अनुसार, दलितों को राज्य विधानसभाओं में पृथक् स्थानों की व्यवस्था थी। दूसरे दिन ही डॉ0 अम्बेडकर ने पैरा 9 'अवार्ड' का खुलासा करने के लिए पत्र लिखा। 'अवार्ड' के विरूद्ध गांधीजी ने आमरण अनशन की घोषणा की। इस 'अवार्ड' के अनुसार अछूतों को पृथक् निर्वाचन एवं दोहरे मताधिकार का अधिकार मिलना था।

महामना मदनमोहन मालवीय ने 19 सितम्बर, 1932 को मुम्बई में हिन्दू नेताओं की सभा की घोषणा शिमला में की, जिसमें किसी प्रकार से गांधीजी की जीवन बचाने के लिए प्रस्ताव पर विचार करना था। इसकी सूचना तार द्वारा डॉ0 अम्बेडकर को भी दी गई।

महात्मा गाँधी की जीवन रक्षा के लिए 'अवार्ड' बदलना आवश्यक था और उस पर डॉ0 अम्बेडकर की स्वीकृति भी आवश्यक थी। डॉ0 अम्बेडकर ने कहा– ''जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मैं हर चीज़ पर विचार करने के लिए तैयार हूँ, इच्छुक हूँ, लेकिन दलितों के अधिकारों की किसी प्रकार से कटौती की आज्ञा मैं नही दूँगा।..... मैं इन राजनीतिक चालों की चिन्ता नही करता।''[10]

अछूतों की माँगों को दबाने के लिए गाँधीजी ने मुसलमानों से समझौता किया, जिससे कि वे अछूतों की सहायता न कर सकें। डॉ0 अम्बेडकर ने फिर कहा– ''यह कठोर कदम गाँधीजी ने भारत की आजादी के लिए उठाया होता तो अधिक अच्छा होता। भारत में बहुत से महात्मा हुए, जिनका मुख्य काम छुआछूत को दूर करना था। जिनका काम उन्हें उठाना तथा अछूतों को अपने में मिलाना रहा है, किन्तु उनमें से प्रत्येक अपने कार्य में असफल रहा। वे महात्मा आये और चले गये, किन्तु अछूत, अछूत ही बने रहे।''[11]

गाँधीजी ने आमरण अनशन न तो मुसलमानों के पृथक् चुनाव के प्रश्न पर किया, न छुआछूत दूर करने के प्रश्न पर और न ही देश को आज़ाद कराने जैसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर, लेकिन दलित वर्ग को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों के विरूद्ध आमरण अनशन करना गांधीजी की मानसिकता दिखाता है। अन्त में डॉ0 अम्बेडकर और गांधीजी के बीच एक समझौता हुआ जो **पूना पैक्ट** के नाम से जाना जाता है। 24 सितम्बर, 1932 को इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

मुम्बई विधानसभा में डॉ0 अम्बेडकर

अगस्त, 1936 में डॉ0 अम्बेडकर ने अपने सहयोगियों की सलाह से स्वतन्त्र लेबर पार्टी की स्थापना की। इस राजनीतिक संस्था ने दलित वर्ग, मजदूर वर्ग व किसानों की अनेक समस्याओं पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। काम के घण्टे कम करना, छुट्टी के दिनों का वेतन दिलाना, मजदूरों को सस्ता और अच्छा मकान रहने को देना, खेतों की चकबन्दी करना, साम्प्रदायिकता समाप्त करना व पुस्तकालय खोलना आदि के लिए इस पार्टी ने आन्दोलन किये।[12] 1937 के चुनावों में इस पार्टी ने 15 सुरक्षित स्थानों में से 13 स्थानों तथा दो सामान्य स्थानों पर विजय प्राप्त की। इस पार्टी ने किरायेदारी, हड़ताल विरोधी विधेयक व खोती प्रथा सम्बन्धी विधेयक की खुलकर आलोचना की।

7 अगस्त, 1942 को डॉ0 अम्बेडकर को गवर्नर जनरल की कौंसिल का सदस्य बना लिया गया तथा स्वतन्त्र लेबर पार्टी को शिड्यूल्ड कास्ट्स फैडरेशन में बदल दिया गया। सितम्बर, 1938 में इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स विधेयक पेश हो चुका था। डॉ0 अम्बेडकर ने इस विधेयक का विरोध किया व उसके स्थान पर पदावर्कर्स सिविल लिबर्टीज विधेयक रखा। इस विधेयक का सवर्णों ने विरोध किया। डॉ0 अम्बेडकर ने इन्डस्ट्रियल

डिस्प्यूट्स विधेयक के विरोध में 7 नवम्बर, 1938 को कारखानों में हड़ताल कराई। सभी राजनीतिक दलों ने डॉ0 अम्बेडकर का विरोध किया।

अप्रैल, 1938 में मजदूरों को सवेतन अवकाश दिलवाने के लिए विधेयक पेश किया गया। बम्बई विधानसभा में आये पंचायत विधेयक पर बोलते हुए डॉ0 अम्बेडकर ने दलितों का मनोनयन के आधार पर प्रतिनिधित्व मांगा। उनकी मांग थी कि यह मनोनयन जिलाधिकारी अथवा जिला बोर्ड के चेयरमैन करें। वे न्याय पंचायतों के विरूद्ध थे। उनका विचार था कि चुने हुए न्याय पंच भ्रष्ट हो जावेंगे।

मुम्बई के रत्नागिरी तथा कोलाबा जिले में एक प्रथा थी जिसे 'खोती' कहा जाता था। इसके अनुसार 'खोत'– सरकारी जमीन, जो छोटे रूप में गरीबों को दी जाती थी, का लगान वसूल करके सरकारी खज़ाने में जमा कराता था। ये खोत भूधारकों पर अनेकों प्रकार के अत्याचार करता था।[13] वह गरीबों को भूमि के अधिकार से बेदखल कर देता था। 17 सितम्बर, 1937 को डॉ0 अम्बेडकर ने खोती अबॉलीशन विधेयक पेश किया तथा अन्त में यह प्रथा समाप्त हो गयी।

डॉ0 अम्बेडकर और संविधान निर्माण

कैबीनेट मिशन योजना में भारत के भावी संविधान के निर्माण सम्बन्धी रूपरेखा का विस्तार से उल्लेख किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत 385 सदस्यीय संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया। 9 सितम्बर, 1946 से संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। जुलाई–अगस्त, 1946 में संविधान सभा के लिए कराये गये चुनावों में डॉ0 अम्बेडकर मुस्लिम लीग के समर्थन पर बंगाल से निर्वाचित हुए, लेकिन 1947 में देश को आजादी मिलने तथा पाकिस्तान के अलग राष्ट्र बनने से डॉ0 अम्बेडकर को अपनी सदस्यता खोनी पड़ी। लेकिन संविधान सभा में अब तक डॉ0 अम्बेडकर द्वारा किये गये रचनात्मक सहयोग, उनकी विद्वता एवं राष्ट्रभक्ति की भावना से प्रभावित होकर कांग्रेस ने एम0आर0 जयकर के त्याग पत्र के कारण रिक्त हुए स्थान से उनको निर्वाचित कराया।[14] संविधान सभा में निर्वाचित होने के बाद 3 अगस्त, 1947 को नेहरू मंत्रिमण्डल में उन्हें शामिल किया गया तथा विधि मंत्री बनाया गया।[15]

देश को आज़ादी मिलने के पश्चात् राष्ट्रीय नेतृत्व एवं संविधान सभा के समक्ष एक अहम सवाल यह था कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक ढाँचे को मूर्त्तरूप देने के लिए राष्ट्रीय संविधान के निर्माण का गुरूतर दायित्व किसे सौंपा जाये। इस हेतु प्रधानमंत्री नेहरू ने कई विदेशी विद्वानों के नाम गांधीजी के समक्ष रखे लेकिन गांधीजी ने सभी नामों को अस्वीकार कर डॉ0 अम्बेडकर को यह महत्त्वपूर्ण दायित्व दिये जाने का सुझाव दिया।[16] इस हेतु एक प्रारूप समिति का निर्माण किया गया तथा सात सदस्यीय इस समिति का डॉ0 अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया। इस अवसर पर डॉ0 अम्बेडकर ने कहा था– ''मुझे जरा भी ख्याल नहीं था कि मुझे अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण काम सौंपे जायेंगे। अतः मुझे भारी आश्चर्य हुआ जब संविधान सभा ने मुझे प्रारूप समिति का सदस्य निर्वाचित किया। मेरे आश्चर्य की सीमा न रही जब प्रारूप समिति ने मुझे अध्यक्ष चुना।[17]

संविधान निर्माण की प्रक्रिया तथा इसके निर्माण में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ0 अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान है। 25 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा में अपना समापन भाषण देते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अछूत जातियों के हितों की रक्षा से अधिक कोई अपेक्षा लेकर मैं इस सभा में नहीं आया था[1] अपने इस लक्ष्य को संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पूरा करने का भरसक प्रयास किया। एक ओर संविधान में दोहरा शासन, इकहरी नागरिकता, शक्तिशाली केन्द्र, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका आदि सम्बन्धी व्यापक प्रावधान किये, वहीं दूसरी ओर संविधान की आत्मा प्रस्तावना में वर्णित भावना के अनुरूप देश के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए मौलिक अधिकारों, नीति–निर्देशक सिद्धान्तों एवं कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं। भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधानों का समावेश कर अनुसूचित जातियों के साथ अस्पृश्यता एवं अन्य सामाजिक–धार्मिक निर्योग्यताओं से मुक्ति दिलाने में डॉ0 अम्बेडकर की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। यह बहुत कुछ उनके प्रयासों का ही परिणाम था कि राज्य द्वारा अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा तथा कल्याण के लिए आवश्यक उपाय किये जाने के प्रावधान संविधान किये गये।

निष्कर्ष

डॉ0 अम्बेडकर की चिन्तनधारा एवं परम्परा को अम्बेडकरवाद या किसी अन्य नामकरण की आवश्कता नही है। वे तो सम्पूर्ण रूप से सामाजिक न्याय के मसीहा और अग्रदूत थे। उनके द्वारा चलाया गया सामाजिक न्याय के लिए आन्दोलन एक शुद्ध कर्म है जिसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी बनी हुई है जितनी उनके समय में थी। इसी आधार पर सामाजिक न्याय एवं सामाजिक परिवर्तन की पृष्ठभूमि में डा0 भीमराव अम्बेडकर की भूमिका को समझना उचित होगा।

पाद टिप्पणी

1. *देसाई, ए0आर0; सोशल बैक ग्राउण्ड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, बम्बई, पापुलर प्रकाशन, 1982।*
2. *धवन, शकुन्तला; डॉ0 अम्बेडकर : अपोस्टल ऑव जस्टिस, योजना, 15 अप्रैल, 1991।*
3. *नायक, बी0; ऑन इक्वैलिटी एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिक जस्टिस, इकॉनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, 1991।*
4. *नैमिशराय, मोहनदास (अनु0); हिंदुत्व का दर्शन, अलीगढ़, आनन्द साहित्य सदन, 1991।*
5. *प्रसाद, अनिरूद्ध; आरक्षण : सामाजिक न्याय और राजनीतिक संतुलन, जयपुर, रावत पब्लिकेशन, 1991।*
6. *प्रसाद, महादेव; महात्मा गांधी का समाज दर्शन, पंचकूला, हरियाणा साहित्य अकादमी, 2005।*

7. *पणिक्कर, के0एम0: द फाउण्डेशन ऑव इंडिया, दिल्ली, विवेक प्रकाशन।*
8. *पांडे, जयनारायण: भारत का संविधान, इलाहाबाद, सैन्ट्रल ला एजेन्सी, 2004।*
9. *बार्कर, अर्नेस्ट: प्रिन्सीपल्स ऑफ सोशियल एण्ड पालिटिकल थ्योरी, लंदन, मैकमिलन, 1979।*
10. *पूरण मल: अस्पृश्यता एवं दलित चेतना, जयपुर, पोइन्टर, 1999।*
11. *पूरण मल; बाबा साहेब डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर : जीवन और संघर्ष, जयपुर, पोइन्टर, 2009।*
12. *मून, वंसत: बाबा साहेब अम्बेडकर, नई दिल्ली, नेशनल बुक ट्रस्ट, 1991।*
13. *रत्तू, नानकचंद: डॉ0 अम्बेडकर के अन्तिम कुछ वर्ष, नई दिल्ली, सम्यक् प्रकाशन, 2005।*
14. *रत्तू, नानकचंद: बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर : संस्मरण और स्मृतियाँ, तृतीय संस्करण, नई दिल्ली, सम्यक् प्रकाशन, 2007।*
15. *रदरमुंड, इन्दिरा: महात्मा गांधी और हरिजन, गांधी मार्ग, 1979।*
16. *राजशेखराचार्य, ए0एस0: बी0 आर0 अम्बेडकर– द क्विस्ट फॉर सोशल जस्टिस, नई दिल्ली, उप्पल पब्लिशिंग हाउस, 1989।*
17. *राय, हिमांशु: युगपुरूष बाबासाहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर, दिल्ली, समता प्रकाशन, 1980*